~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष
~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं~~। श्रीमान् पीठासीन
~~अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-5-16
को पेश हो।

रीडर

~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/~~
~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष
~~उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं~~ श्रीमान् पीठासीन
~~अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/~~अन्य~~
~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-6-16 कैम्प खेड़ाबादरामगढ़
को पेश हो।

रीडर

3250-67
8/6/16

14-6-16 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प खेड़ाबादरामगढ़ पर पेश हुई। वादीगण जयराम व रामदेश तथा प्रतिवादीगण अहसान, हासिम, हसन उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख० नं० 591 रकबा 64 स्वर वादीगण की खाते की भूमि है। इसका सीमाज्ञान तहसीलदार के नेतृत्व में गठित पटवारी हल्का व गिरदावर की टीम करेगी तथा दोनों पक्षों को सीमाज्ञान से अवगत करायेगी। दोनों पक्ष सीमाज्ञान से सहमत रहेंगे। यदि वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के दबी होगी तो प्रतिवादी छोड़ेंगे। यदि नहीं छोड़ेंगे तो वादीगण नया दावा कर सकेंगे इसके लिए छूट दी जावे। वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

राजीनामा स्वीकार कर इसके अनुसार भूमि की सीमाज्ञान कराने का आदेश तहसीलदार को दिया जावे। वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जयराम
रामदेश
अहसान
हसन

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खेडाबाढरामगढ

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. जगराम पुत्र रतना मीना निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. हलकेश पुत्र मोती मीना निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी —–वादीगण

बनाम

1. कासिम पुत्र बाज खॉ, मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी मृतक
1/1. हसन पुत्र कासिम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
1/2. निजामत पुत्र कासिम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
1/3. शौकत पुत्र कासिम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
1/4. किस्मत पुत्र कासिम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
1/5. सैय्यद पुत्र कासिम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
1/6. जरीना बेवा कासिम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
1/7. मोहसीना पुत्री कासिम मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
1/8. सायरा पत्नी छुटटन पुत्री कासिम
2. हासिम पुत्र बाज खॉ मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. एहसान उर्फ एहसान पुत्र बाज खॉ मुसलमान निवासी जैतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 118/2006

वादी की ओर से वादी जगराम की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी हासिम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं की अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर वादीगण की भूमि ख0नं0 591 रकबा 64 एयर, ग्राम जैतपुर की नाप करवा कर भूमि का सीमाज्ञान करवा दे तथा यदि वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण ने दबा रखी हो तो प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि का कब्जा छोड दे तथा वादीगण की भूमि का कब्जा नही छोडने पर वादीगण को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तहसीलदार गंगापुर सिटी पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

यह आज तारीख 14.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. ______ रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	